

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
संख्या- 04 / 03 / अति-4 / 2018-19
प्रयागराज: दिनांक : 10 मई, 2019

प्रेस-विज्ञप्ति

सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) पुरुष/महिला शाखा परीक्षा 2018, दिनांक 29-07-2018 को प्रदेश के 39 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर सम्पन्न करायी गयी थी। प्रश्नगत परीक्षा के संस्कृत पुरुष शाखा में कुल 11105 तथा महिला शाखा में कुल 12681 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। प्रश्नगत पद का चयन 150 अंकों का है। प्रश्नगत परीक्षा में संस्कृत पुरुष शाखा में 274 रिक्तियों के सापेक्ष 274 तथा महिला शाखा में 242 रिक्तियों के सापेक्ष 242 अभ्यर्थियों का चयन औपबन्धिक रूप से किया गया है जिसे सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया गया है तथा आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर भी उपलब्ध है।

2-प्रश्नगत परीक्षा का सम्पूर्ण परिणाम पूर्णतया औपबन्धिक है। अतः अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे वांछित मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु आयोग द्वारा अलग से जारी होने वाली विज्ञप्ति के अनुसार समयान्तर्गत उपस्थित होकर अपने अभिलेखों का सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा।

3-प्रश्नगत परीक्षा का परिणाम मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-17183/2018, विजय नाथ व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

4- संस्कृत (महिला शाखा) में योजित याचिका संख्या-13651/2018 नरेन्द्र सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-13701/2018 राजेश कुमार मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य याचिका संख्या-13703/2018 उदय प्रकाश तिवारी व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-13687/2018 अनुपम कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा संस्कृत (पुरुष शाखा) में योजित याचिका संख्या-13663/2018 संजय कुमार व 02 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, याचिका संख्या-12105/2018 राजेश कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य याचिका संख्या-13772/2018 आलोक कुमार पाठक व 07 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य याचिका संख्या-10257/2018 अमित मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य , याचिका संख्या-13713/2018 राजकुमार व 04 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या-9614/2018 दिव्य प्रकाश मिश्रा व 32 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में संस्कृत महिला/पुरुष शाखा से संबंधित याचियों का अभ्यर्थन उक्त याचिकाओं में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

5- प्रश्नगत परीक्षा परिणाम से सम्बन्धित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार/ पदवार कट आफ अंक आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रदर्शित कर दिये जायेंगे। इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(जगदीश)
सचिव।